

## राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक:-05.08.2024

कॉलेज शिक्षा विभाग हेतु आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता-आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध (E.A.F.M.) प्रतियोगी परीक्षा-2014 के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4934/2024 में पारित आदेश दिनांक 21.03.2024 एवं एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3862/2024 में पारित आदेश दिनांक 22.03.2024 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9850/2018 में पारित आदेश दिनांक 20.02.2019 एवं एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13996/2018 में पारित आदेश दिनांक 09.05.2019 की पालना में उक्त परीक्षा के निम्नलिखित 07 याची अभ्यर्थियों को परिणाम दिनांक 14.12.2018 के अन्तर्गत विचारित किया गया-

104847	111958	121972	124631
135093	142136	196001	कुल 07 अभ्यर्थी

साथ ही परिणाम दिनांक 14.12.2018 के अन्तर्गत मुख्य सूची में अस्थाई रूप से सफल कतिपय अभ्यर्थी पात्रता जांच में अपात्र पाये गये है।

उपरोक्तानुसार रिक्त रखे गये पदों/अपात्र अभ्यर्थियों के कारण रिक्त हुए पदों के विरुद्ध परिणाम दिनांक 14.12.2018 के क्रम में अभ्यर्थियों को विचारित किये जाने पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में निम्नानुसार अस्थाई रूप से सफल घोषित किया जाता है-

### रोल नम्बर (मेरिट क्रमांक)

112825 (47-A)	121972 (39-A)	128090 (48-A)	132427 (46-C)
142136 (46-A)	158900 (46-B)	180717 (48-B) (P)	199401 (47-B) (P)
Total Candidates:- 08			

### नोट:-

1. निम्नलिखित याची अभ्यर्थी प्राप्तांकों के आधार पर स्वयं के वर्ग के कट ऑफ मार्क्स में नहीं आने के कारण मुख्य सूची में असफल रहते है-

104847	111958	124631
135093	196001	कुल 05 अभ्यर्थी

2. उक्त परिणाम माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन SLP (C) No. 16841/2019 इन्दुबाला कुमावत बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एवं SLP (C) No. 001545/2019 राजस्थान राज्य बनाम हेमराज मीणा व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेगा।

(रामनिवास मेहता)

सचिव